


<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारी अहकाम जो हुकम की तारी में जारी हुए</p>
<p>8-11-19</p>	<p>पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक को पेश हो। 15-11-19</p>	
<p>15-11-19</p>	<p>पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित, तहसीलदार मोडल द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त दिनांक 19-9-19 पूर्व में ही प्राप्त हो चुकी है उसे शाप पठ किया गया, वकील प्रार्थना द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे शाप पठ किया जाकर एक प्रति उतिवादिगण अधिवक्ता को प्रेषित गयी। प्रार्थना पत्र में वकील प्रार्थना तहसीलदार मोडल की उपस्थिति में मौका की स्थिति दिखाये जाने का निवेदन किया। P.O. सा. स्वेय द्वारा मौका निरीक्षण दिनांक 19-11-19 को देखने हेतु पत्रावली दिनांक 22-11-19 को पेश हो।</p>	
<p>22-11-19</p>	<p>पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक को पेश हो। 26-11-19</p>	
<p>26-11-19</p>	<p>उभय पक्ष उपस्थित पीतासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर हैं / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 28-11-19 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल</p>	
<p>28-11-19</p>	<p>पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित, मौका निरीक्षण की रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया, उभयपक्षों ने बहस करनी चाही। उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। वास्ते पत्रावली आदेश हेतु नियत दिनांक 29-11-19 को पेश हो।</p>	

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

हुक्म या कार्यवाही मय इनेशयल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

19 पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित, वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A रा० का० अधिनियम के तहत अपनी स्वातेदारी आराजी नं० 6488 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा, आराजी नं० 6478 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा, आराजी नं० 6485 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा, आराजी नं० चाट 6486 रकबा 03 बिस्वा भूमि जो ग्राम कौलीखेड़ा पटवार हल्का सेतौकपुरा तल्लील माण्डल में स्थित उक्त भूमि में प्रार्थीगण के आने जाने हेतु रास्ता विपक्षी-सेख्या 01 लगायत 05 की आराजी नं० 6501 रकबा 18 बिस्वा के मध्य में 15 फीट की चौड़ाई का रास्ता कायम करने की इस्तुआ की। जब कि विपक्षीगण द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि उनकी आराजी में किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज तथा अ-अभिलेख निरीक्षण द्वारा पेश की गई मौका रिपोर्ट का अध्ययन व मन्म किया गया। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A रा० का० अधिनियम स्वीकार योग्य है अतः

∴ आदेश ∴

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A रा० का० अधिनियम स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की आराजियात ग्राम कौलीखेड़ा पटवार हल्का सेतौकपुरा तल्लील माण्डल जिला-भीलवाडा में स्थित आराजी नम्बर 6488 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा, आराजी नम्बर 6478 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा, आराजी नम्बर 6485 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा, आराजी नम्बर 6486 चाट रकबा 03 बिस्वा भूमि पर आने-जाने हेतु रास्ता राजस्व

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व ता  
अहकाम जो  
हुकम की ता  
में जारी हु

हेतु विपक्षीगण की आराजी नम्बर 605 स्कवा 18 बिस्वा  
मे से दक्षिणी, पूर्वी मेड के A-TO B के सहारे -सहारे  
12 फीट का रास्ता दिया जाने का आदेश दिया जाता  
है. 12 फीट चौड़ा रास्ता के काम मे आने वाली भूमि  
की D.L.C. दर की डबल राशि बकद था D.D.  
प्रार्थीगण से प्राप्त कर अप्रार्थीगण को भुगतान करे।  
तथा तहसीलदार माण्डल को आदेशित किया जाता है  
अप्रार्थीगण द्वारा निर्मित पक्की ईटों की दीवार को  
हटाया जावे। हटाने का सम्पूर्ण खर्चा प्रार्थीगण से  
वसूला जावे एवं हटाई गई दीवार का निर्माण मुख्य  
प्रार्थीगण से वसूल कर अप्रार्थीगण को भुगतान किया  
जावे। अप्रार्थीगण की भूमि रास्ते से आने वाली भूमि  
को राजस्व बेकड मे से कम की जावे और भूमि को  
राजस्व रेकार्ड मे रास्ता दर्ज करते हुए नक्शे मे  
तरमीम किया जावे। नियमानुसार अपील अवधि  
के पश्चात तहसीलदार माण्डल द्वारा निर्णय की पालना  
की जावे। पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार  
माण्डल को भिजवाते हुए लिखा जावे।  
पचावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की  
जावे।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाड़ा